न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण संख्या 38/2025

रोशनलाल बनाम श्रीमति नीतू करौल सहा. कलक्टर बांदीकुई व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.07.2025	अधिवक्ता प्रार्थी श्री राजेन्द्र सिंह गुर्जर उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 श्री जगदेव कसाना उपस्थित। उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक बांदीकुई के समक्ष वाद पत्र बाबत् तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा उनवानी रोशनलाल बनाम ताराचन्द वगैराह मुकदमा नम्बर 110/2022 एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया था, जिसमे वाद पत्र में विपक्षीगण द्वारा आपसी सांठगांठ से प्राथमिक डिक्री पारित कराकर तहसीलदार बांदीकुई से प्रार्थी की उपस्थिति के बिना ही गलत कुरेजात प्रस्ताव तैयार करवा लिये, जिसके बाद प्रार्थी द्वारा दिनांक 24.03.2025 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया। जिसमें दिनांक 05.05.2025 को बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई तथा दिनांक 14.05.2025 वास्ते आदेश नियत की गई। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.07.2022 को मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश पारित किया गया था, जो आज दिन तक प्रभावी है। विपक्षीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुये जबरन विवादित भूमि पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। जिसके लिये प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 151 सीपी सी के तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 12.07.2022 की पालना सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 16.04.2025 को प्रस्तुत किया था। जिसमे भी बहस प्रार्थना पत्र सुनी जाकर वास्ते आदेश तारीख पेशी 14.05.2025 नियत की गई। प्रार्थी गरीब व्यक्ति है जो कानूनी पेचीदगियों को नहीं समझता है तथा विपक्षी ताराचन्द वगैरा शातिर किस्म के चालाक व्यक्ति है जिन्होने प्रार्थी को धमकी देकर एलानिया कहां है कि उनकी एसडीएम बांदीकुई से अच्छी जान पहचान है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को खारिज करवाकर अंतिम डिक्री व निर्णय पारित करवा लिया जायेगा। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपरोक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई का पूर्णतया हस्तक्षेप है। जिसकी वजह से अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर दबाव बनाकर प्रार्थी के हितों के विपरीत निर्णय पारित करेंगे। प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकरी से न्याय की उम्मीद नहीं हैं। अतः उक्त परिस्थितियों में प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश फरमावे। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण तकास्मा से सम्बन्धित है। जिसमें कुरेजात पेश होकर पत्रावली आदेश पर नियत है। प्रार्थी द्वारा धारा 151 प्रार्थना पत्र एवं आपत्ति कुरेजात का पेश किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्रों पर बहस सुनने के उपरान्त पत्रावली आदेश में नियत की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने एवं अप्रार्थीगण को परेशान करने की नीयत से यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोप मनगढन्त एवं निराधार है। प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किये गये है। पत्रावली में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जाना है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का औचित्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील किये जाने का प्रावधान है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमावे।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chaudhary
Date: 2025.08.12 10:36:21 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक बांदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण रोशनलाल बनाम ताराचन्द अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थी द्वारा पत्रावली में धारा 151 सीपीसी प्रार्थना पत्र तथा आपत्ति कुरेजात का पेश किये जाने पर प्रार्थना पत्रों पर बहस सुने जाने के बाद आदेश में नियत है। पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोप मनगढन्त एवं मिथ्या है। जिनका कोई आधार नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र केवल प्रकरण में देरी करने की नीयत से पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा किये गये कथनों के सम्बन्ध में प्रार्थी के पास कोई साक्ष्य नहीं है, फिर भी उक्त पत्रावली को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया गया है। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थना पत्रों पर बहस सुने जाने के उपरान्त पत्रावली आदेश में नियत है तत्पश्चात् प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में साक्ष्य, सबूत पेश नहीं किये गये है। चूंकि पत्रावली आदेश में नियत है। ऐसी स्थिति में पत्रावली को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का औचित्यपूर्ण तथ्य प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रार्थी द्वारा प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की नीयत से ही प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण सारहीन होने से खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे। निर्णय आज दिनांक 17..07.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (रामस्वरूप चौहान) अति. जिला कलक्टर,दौसा Signature Not Verified Digitally signed by Ramswaroop Chauhan Date: 2025.08.12 12:36:21 IST Reason: SelfAttested	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official